

## इंजीनियरी विभाग (ओपेन लाइन) के बारे में परिचय

[आरटीआई एक्ट के पैरा 4(1) बी (i)]

### सिविल इंजीनियरी विभाग :

पूर्व रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग को रेलपथ, पुलों, रेलवे भवन / क्वार्टर, समस्त यात्री एवं कर्मचारी सुविध कार्य, रेलपथ, भवन एवं पुलों जैसे अधिक पुराने परिसंपत्तियों का नवीकरण जैसे रेलवे संपत्तियों के अनुरक्षण करने का दायित्व दिया गया है। पूर्व रेलवे का सिविल इंजीनियरी विभाग रेलवे बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व रेलवे की निर्माण कार्यक्रम को तैयार करने एवं संकलन करने में बड़ी भूमिका निभाता है।

INTRODUCTION ABOUT ENGINEERING DEPARTMENT (OPEN LINE):

[Para-4(1) b(i) of RTI Act]

### CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT:

Civil Engineering Department of Eastern Railway is entrusted with the maintenance of Railway assets like Railway track, bridges, Railway buildings/Quarters, all passenger & staff amenity works, renewal of overaged assets like Railway tracks, buildings and bridges. Civil Engineering Department of Eastern Railway performs a major role in preparation and compilation of works programme of Eastern Railway in co-ordination with Railway Board.